भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5725

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

न्यायपालिका में लैंगिक असमानता

5725. सुश्री एस. जोतिमणि :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का न्यायपालिका में विशेषकर उच्च स्तरों पर और अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए आरक्षण अथवा विशेष प्रोत्साहन शुरू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) न्यायपालिका और कानूनी पेशे में और अधिक महिलाओं को करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किए गए कार्यक्रमों अथवा पहलों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने न्यायिक नियुक्तियों में लैंगिक असमानता के संबंध में कोई अध्ययन कराया है अथवा परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) न्यायिक प्रशिक्षण, विधिक शिक्षा और न्यायालयी कार्यवाही में लैंगिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी भी जाति या वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करता है।

प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति में निहित है। तथापि , सरकार न्यायपालिका में सामाजिक विविधता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक रूप से विचार किया जाए ताकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित हो सके। केवल वे व्यक्ति जिन्हें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित किया जाता है, उन्हें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाते हैं।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए) विधिक प्रशिक्षण, न्यायिक संवेदीकरण और न्यायालय की सुनवाइयों में लैंगिक संवेदनशीलता अंतर्निविष्ठ करने के लिए नियमित रूप से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है।

****